

कार्यालय प्रधानाचार्य, लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कालेज, मेरठ।

संख्या: पी0०सी०/2019/ 5178

दिनांक: 13-06-2019

नीलामी नोटिस

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जी + 1 रिसेप्शन हॉल के निर्माण कार्य के अन्तर्गत 19 (उन्नीस) यूकेलिप्टस पेड़ों निर्माण स्थल पर है, की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 22-06-2019 को दोपहर 01:00 बजे विभागाध्यक्ष, रेडियोथैरेपी विभाग के कक्ष में बोली लगाकर की जाएगी। बोली लगाने से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में वृक्ष देखा जा सकता है। जिस दशा में है उसी दशा में नीलाम किया जायेगा।

(क) नीलामी में भाग हेतु अर्हताएं:-

1. जी.एस.टी. प्रमाण पत्र।
2. प्रशासन द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र।
3. आयकर विभाग में पंजीकृत।

नीलामी में भाग हेतु उपरोक्त अर्हताएं पूर्ण करना अनिवार्य है।


(ख) नीलामी की शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. नीलामी समिति को पूर्ण अधिकार है कि यह सम्बन्धित यूकेलिप्टस के 19 पेड़ों की नीलामी कराये।
2. वृक्ष जिस स्थल पर जिस दशा में है उसी दशा में नीलामी की जायेगी। इस पर नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को किसी प्रकार का प्रतिवाद करने को अधिकार नहीं होगा।
3. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति के उसी दिन प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक अपने समस्त अभिलेख एवं शुल्क इत्यादि विभागाध्यक्ष, रेडियोथैरेपी विभाग के कार्यालय में जमा कराने होंगे।
4. केवल उसी व्यक्ति को नीलामी में बोली बोलने का अधिकार होगा जिसके द्वारा निर्धारित धनराशि (दस हजार मात्र) जमा करा के टोकन प्राप्त किया होगा।
5. जो व्यक्ति नीलामी में भाग नहीं लेंगे अथवा जिनके नाम बोली नहीं छूटेगी, उनको नीलामी की समाप्ति के बाद उसी दिन अथवा अगले कार्यदिवस (जैसी भी स्थिति) में उनके द्वारा जमा की गयी धनराशि वापस कर दी जायेगी। किसी भी व्यक्ति की बोली स्वीकृत हो जाने पर उसके द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि में समायोजित कर ली जायेगी।
6. नीलामी समिति को पूर्ण अधिकार है कि वह बिना कारण बताये सम्पूर्ण अथवा उसके किसी भाग के नीलामी को किसी भी स्तर पर स्थगित अथवा निरस्त कर दें। इस बिन्दु पर किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी और किसी भी प्रकार के विवाद के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी सक्षम न्यायालय की शरण में लेने का अधिकार नहीं होगा।
7. जिस व्यक्ति के नाम की बोली छूटेगी उसको बोली छूटने के तत्काल बाद स्वीकृत बोली के सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करना होगा।
8. किसी भी व्यक्ति की बोली स्वीकार हो जाने पर यदि उसके द्वारा स्वीकृत बोली के धन जमा नहीं किया गया तो उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी, तथा वह व्यक्ति आगे की नीलामी में भाग नहीं ले सकेगा।
9. नीलामी की बोली स्वीकृत हो जाने पर पेड़ों की नीलामी के पश्चात पेड़ों को कटवाने की/उठाये जाने की तिथि तक सुरक्षा का उत्तरदायित्व क्रयकर्ता का स्वयं का होगा। किसी प्रकार भी इसके लिए विभाग उत्तरदायी न होगा।
10. किसी भी बोली को स्वीकृत निरस्त करने का अधिकार नीलामी समिति के पास सुरक्षित होगा। नीलामी से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के विवाद के लिए नीलामी समिति का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा किसी भी प्रकार के विवाद के लिए किसी भी व्यक्ति को न्यायालय की शरण लेने का अधिकार नहीं होगा।

11. नीलामी स्थल पर नीलामी में भाग लेने हेतु वैध टोकन प्राप्त व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेगा तथा किसी भी अस्त्र-शस्त्र धारक व्यक्ति का प्रवेश निषिद्ध, अवैध, दण्डनीय होगा। किसी अन्य व्यक्ति को जिसके पास वैध टोकन नहीं होगा कोई भी वैध टोकन धारक अपने साथ नीलामी स्थल पर नहीं ला सकेगा।
12. कोई भी वाहन, स्कूटर, मोटर साइकिल आदि का नीलामी स्थल पर प्रवेश एवं पार्किंग निषिद्ध है। उक्त की सुरक्षा का उत्तरदायित्व विभाग का नहीं होगा।
13. नीलामी में प्रतिभाग करने वाले को यह प्रमाणित करना होगा कि इस संस्था में उसका कोई पारिवारिक सदस्य अथवा नजदीकी रिश्तेदार कार्यरत नहीं है और न ही वह किसी प्रकार की किसी स्रोत से सिफारिश करायेगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी, तथा वह व्यक्ति आगे की नीलामी में भाग नहीं ले सकेगा।

(ग) वन विभाग की शर्तें

1. उपरोक्त वृक्ष की नीलामी के पश्चात् रु0 100/- वृक्ष पातन अनुमति एवं नीलामी किये गये मूल्य का नियममानुसार अभिवहन शुल्क, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ अथवा क्षेत्रीय वन अधिकारी मेरठ के कार्यालय में जमा करें, अभिवहन पास अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा।
2. मूल्यांकित वृक्ष के नीलामी के समय सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य है।
3. क्रेता को नीलामी द्वारा निस्तारित वृक्ष के पातन हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, मेरठ के कार्यालय के पातन/ अभिवहन अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक है।



(आर.सी.गुप्ता)
प्रधानाचार्य

संख्या: पी0सी0 /2019/

तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, मेरठ।
2. प्रभारी निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ।
3. प्रमुख अधीक्षक, स.व.भा.प. चिकित्सालय, मेरठ।
4. विभागाध्यक्ष, रेडियोथेरेपी विभाग, ला.ला.रा.स्मा. मेडिकल कालेज, मेरठ।
5. प्रभारी अधिकारी, बागवानी मेडिकल कालेज, मेरठ।
6. क्षेत्रीय वन अधिकारी, मेरठ।
7. लेखा अनुभाग, ला.ला.रा.स्मा. मेडिकल कालेज, मेरठ।
8. लेखा लिपिक, स.व.भा.प. चिकित्सालय, मेरठ।
9. नोटिस बोर्ड। (कालेज/चिकित्सालय)।


(आर.सी.गुप्ता)
प्रधानाचार्य